

लिखे जाय होंगी।

- ✓ डिप्लोमा इन पार्लेसी पाठ्यक्रम की संस्था यदि वी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्तलिख संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सचप उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध टापर किया जात है तथा टापर बंध के संबंध में न्य. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जात है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन पार्लेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायिक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीओसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सहीरक्षण आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साऊसराज, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुद्रक, छात्रवृत्त मुद्रक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ रेगिन टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिदेश भूमि, भवन, फर्निचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जात है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुसंज्ञा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साऊसराज पीओसीआई/पीओसीआई/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जात है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता खाली का अनुपालन न किये जाने अथवा खाली का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुं०सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक HANSWANI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY, MAHUARI CHAKIA POST - NIDI, NAINI, ALLAHABAD


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सरकार,****संख्या - प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817****तारखतः दिनांक: 30/08/2022****कार्यालय ज्ञापः**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयीय और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वेदिक सं. 2022-23 हेतु द्वितीय भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार- परीक्षण प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य माटी पर विचार करते हुए सं. 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सं. 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन परीक्षण एवं उसी अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4451-HANSWAHINI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY			
क्र.सं.	परीक्षण का नाम	ए0आ0बी0टी0ई0बी0बी0आई0 द्वारा सं. 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	180	180
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आ0बी0टी0ई0बी0बी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवम् 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी-2000, सेक्टर विनियमकारी-2016 तथा संसद-संस्था पर निर्मित प्रावधानों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षों (तीनों परीक्षाओं हेतु) ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षों कार्यालयी परीक्षा हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लाख दो बर्षों परीक्षाओं (दो बर्षों कार्यालयी परीक्षा के अधीन) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश परीक्षाओं से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधीन प्रावधानों से शुल्क के अभाव में संस्था-संस्था पर प्रदान द्वारा निर्मित किये जाने वाले प्रावधानों का पालन करेगी, और अनुसूचित वर्गों/वर्गों का प्रावधान होगा। परीक्षा निर्धारण समिति द्वारा यदि सं. 2022-23 हेतु परीक्षा का पूर्णतः पालन किया जाये, तो परीक्षा की अतिरिक्त दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को संसद-संस्था पर निर्मित प्रावधानों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिविषयों-अभियोगों/सामान्य/सो/निर्देशों एवं विदेशिक, प्राथमिक शिक्षा, उ०००, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उ००० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ००० द्वारा बनये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये साध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्थान उत्तराखण्ड संस्था का हस्ता-ओर लिखित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था कार्य उत्तरदायी होती। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विदेशीय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. ग्यालान द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्याभिलिख के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अभाव पराधीन प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करवा साध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साह-समस्त, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, साहायस सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त साहायस उपलब्ध कराने के साथ टैरिंग लेखने के संबंध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संशोधित पाठ्यक्रम को सलाह देने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराने लगे अधिदेश, भूमि-भजन, कर्मीपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संशोधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के ओवर सहाय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साह-समस्त ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परीषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरपठानुसार अनुसंधानसमस्त कार्यवाही की जायेगी।


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

पु०स०- प्राथमिकपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्राथमिक-
प्रधानकार्यनिदेशक HANSWAHINI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

कार्यवाही**प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान शिक्षण परिषद****उत्तरा प्रदेश सरकार**

संख्या: प्रतिष्ठान/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

सम्बद्धता दिनांक: 12-09-2023

कार्यवाही उत्तर:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद एवं पारमेशी कार्गनिकल जॉब इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संपादित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्रतिष्ठान शिक्षण परिषद, 3+ 2+ लक्षणों में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यवाही में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद/पारमेशी कार्गनिकल जॉब इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रतिष्ठान शिक्षण परिषद, 30 90 लक्षणों द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पदपूर्वक एवं उत्तम अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का ब्रीफ एवं नाम : 4451-HANSWAHINI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

क्र.सं.	पदपूर्वक का नाम	सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने वाले सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रवेश	
		सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रवेश	24 हेतु अनुमोदन प्रवेश
1	CIVIL ENGINEERING	150	150
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	150	150
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्रतिष्ठान शिक्षण परिषद, अनुक्रम-3 द्वारा प्रेषित शर्तों के पर संस्था 31/1/16-3096/9/2022 टीसीओ-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संपादित संस्था संस्थानों की ओर से सिस्टम तकनीकी न्यायपालना में बंदिता रिट प्रतिष्ठान संस्था 5027/2023 में तकनीकी न्यायपालना के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता विस्तार की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद/पारमेशी कार्गनिकल जॉब इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद/पारमेशी कार्गनिकल जॉब इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के आदेश के अनुक्रम संस्थान में संस्था संस्थान (अभि, अग्र, गैर-उत्पादन) अति उपलब्ध है।

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, HANSWAHINI INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव